Office of DIG (P/T) H.Q.
Reg. No. 1092
Date 15/7/17

Office of D.G. (Telecom)
Diary No. 11481
Date

अर्द्ध शासकीय पत्रांकः ग्यारह–550–2012

डा0 संजीव गुप्ता,
आई0पी0एस0,

पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
दिनांकः इलाहाबादः जुलाई 8 ,2017

प्रिय महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि निर्माण इकाई द्वारा आगणन गठित करते समय स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त जनपद/इकाई के अधिकारी से विचार–विमर्श कर नये कार्यो का मानचित्र तैयार किया जाता है, अथवा शासन द्वारा मानकीकृत मानचित्र के आधार पर आगणन तैयार कर उपलब्ध कराया जाता है, तदोपरान्त शासन द्वारा स्वीकृति निर्गत की जाती है।

2– शासन की स्वीकृति के उपरान्त कतिपय प्रकरण पाये गये, जिनमें जनपद/इकाई के अधिकारी द्वारा मनमाने तौर पर स्वीकृत मानचित्र में अतिरिक्त कार्य जोड़ दिये गये अथवा परिवर्तित कर दिये गये। उक्त परिवर्तन के फलस्वरूप निर्माण इकाई द्वारा पुनरीक्षित धनराशि की मॉग की गई।

3– उक्त स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। शासन द्वारा जब निर्माण कार्य स्वीकृत कर दिये जाय तो उनके मानचित्र में कोई संशोधन न किया जाय, यदि उसमें कोई अतिरिक्त कार्य अथवा संशोधन की आवश्यकता है, तो उसको अलग से आख्या तथा आगणन तैयार कराकर भेजा जाय। ताकि स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके और उसकी लागत में कोई परिवर्तन न हो। पुलिस मुख्यालय द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरान्त ही आगणन में संशोधन किये जाने पर विचार किया जायेगा।

4– अतएव शासन, द्वारा स्वीकृत निर्माण कार्यो में कोई परिवर्तन किसी स्तर के अधिकारी द्वारा न किया जाय। बल्कि यदि अतिरिक्त कार्य कराया जाना आवश्यक है तो उसका आगणन अलग से तैयार कर पुलिस मुख्यालय को भेजा जाये।

भवदीय,

(डा0 संजीव गुप्ता)

समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, (नाम से),
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपि पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया तदनुसार अपने क्षेत्रीय इकाइयों को उपरोक्तानुसार निर्देश निर्गत करने हेतु प्रषित :–

1– अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पुलिस आवास निगम, लखनऊ।
2– प्रबन्ध निदेशक, UPRNN/ UPPCL/ पैकफेड/ यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
3– निदेशक, सी0एण्डडी0एस0/आवास विकास परिषद/जल निगम, लखनऊ ।